

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 336]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 22 जून 2022—आषाढ 1, शक 1944

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 22 जून 2022

क्र. एफ-ए-3-35-2017-1-पांच-(34).—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-35-2017-1-पांच (63) दिनांक 07 दिसम्बर, 2018, जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 631 दिनांक 07 दिसम्बर, 2018 में प्रकाशित की जा चुकी है, में निम्न शुद्धि-पत्र प्रकाशित किया जाता है:—

शुद्धि-पत्र

अनुसूची में,—

- (i) क्रम सं. 59 स्तंभ (2) में, प्रविष्टि “9” के स्थान पर “7, 9 या 10” पढ़ा जाये;
- (ii) क्रम सं. 102 स्तंभ (2) में, प्रविष्टि “2302” के स्थान पर “2301, 2302” पढ़ा जाये.

2. इस अधिसूचना के समानांतर अंग्रेजी अधिसूचना क्रमांक F A-3-35-2017-1-V(84) दिनांक 05 अगस्त, 2017 जारी की जा चुकी है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.